



Neutral Citation No. 2026:AHC:21420

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट बी संख्या- – 352/ 2026**

कुंवर पाल सिंह (मृतक) और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

अनिल कुमार बिंद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता हरि नारायण सिंह

**न्यायालय कक्ष सं. 54**

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक**

1 याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में ही मौखिक रूप से अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) फर्रुखाबाद के विवरण को ठीक करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार उन्हें आज ही के दिन रिट याचिका की प्रार्थना संख्या 1 में उक्त प्राधिकारी का नाम भी ठीक करने की अनुमति दी गई है।

2. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और पटल पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

*"परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें फर्रुखाबाद के चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय को यह निर्देश दिया जाए कि वह उनके समक्ष लंबित अपील संख्या 573/2010 (कुंवर पाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत है शीघ्रता से और अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक समय सीमा के भीतर निस्तारित करे।"*

1. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उक्त अपील वर्ष 2010 से ही विचारार्थ लंबित है और काफी समय बीत जाने के बावजूद इसे शीघ्रता से निस्तारण हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
3. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समझता है। ऐसा करते समय न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसके साथ ही न्यायालय चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यह निर्देश देता है जिनके समक्ष उपर्युक्त मुकदमा निस्तारण हेतु लंबित है कि वे कानून के अनुसार इस मामले का शीघ्रता से निर्णय करें अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पाँच महीने की अवधि के भीतर बशर्ते कि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

4. उपर्युक्त निर्देश के साथ वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

30 जनवरी 2026

विनय